न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अलवर (राजस्थान)

प्रार्थना पत्र संख्या	रजिस्टेशन नं0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15 / 14 / 2024	2024 / 32	25.01.2024	13.01.2025

1. एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, सी–25 भगवन्त दास रोड़, सेंट जेवियर स्कूल के सामने, सी–स्कीम, जयपुर–302001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शरद गौड।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनीष कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शिव चरण, निवासी प्लॉट नं0 22 एम.ई.वी. श्री रामनगर अलवर–301001, जिला अलवर राजस्थान।
2. श्रीमती मीना गुप्ता पत्नि स्व0 श्री शिव चरण, निवासी प्लॉट नं0 22 एम.ई.वी. श्री रामनगर अलवर–301001, जिला अलवर राजस्थान।
3. श्री भरत गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शिव चरण, निवासी प्लॉट नं0 22 एम.ई.वी. श्री रामनगर अलवर–301001, जिला अलवर राजस्थान।
4. सुश्री कलावती देवी माता स्व0 श्री शिव चरण, निवासी प्लॉट नं0 22 एम.ई.वी. श्री रामनगर अलवर–301001, जिला अलवर राजस्थान।

–अप्रार्थीगण / ऋणी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

––:: निर्णय ::––

प्राधिकृत अधिकारी की ओर से यह प्रार्थना अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 प्रस्तुत किया गया। जिसके द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 31.01.2018 को 20,00,000/–रूपये (Rupees Twenty Lakh Only), दिनांक 19.03.2018 को 35,000/– (Rupees Thirty Five Thousand Only), कुल राशि 20,35000/– बीस लाख पैत्तीस हजार रूपये मात्र/– (Rupees Twenty Lakh Thirty Five Thousand Only) को उपलब्ध कराई थी, जो दिनांक 31.03.2023 तक Total Aggregating Loan Amount Rs. 30,22,007/– तीस लाख बाईस हजार सात रूपये मात्र/– (Rupees Thirty Lakh Twenty Two Thousand Seven Only) है। ब्याज/लेट पेमेन्ट पेनेल्टी/अन्य चार्जेज के सहित एवं इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे की अदायगी हेतु अप्रार्थीगण द्वारा की जाएगी। तथा अप्रार्थी ऋणीयों/जमानतदारो द्वारा ऋण के पेटे में प्रतिभूति के बतौर अप्रार्थीगण द्वारा स्वंय की सम्पत्ति **"युनिट/दुकान नं0 डी एफ एफ–12 प्रथम फ्लोर, कैपिटल्स गलेरिया, प्लॉट नम्बर 4, मनुमार्ग अलवर, जिला अलवर राज0 जिसका कुल क्षेत्रफल 383,58 वर्ग फीट (35.63 वर्ग मीटर) (सुपर बिल्टअप) है जो मनीष कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शिव चरण गुप्ता के नाम से है।"** को रहन रखा गया था। अप्रार्थी ने तयशुदा शर्तो के मुताबिक प्रार्थी द्वारा दिए गए ऋण का भुगतान नहीं किया।

जिला कलक्टर
अलवर (राज0)

उक्त ऋण राशि की अदायगी के लिए उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 29.04.2023 के द्वारा नोटिस भेजा गया परन्तु अप्रार्थीगण के द्वारा ऋण राशि की अदायगी नही की गई। प्रार्थी ने उपरोक्त **"युनिट/दुकान नं0 डी–10, प्रथम फ्लोर, कैपिटल्स गलेरिया, प्लॉट नम्बर 4, मनुमार्ग अलवर, जिला अलवर राज0 जिसका कुल क्षेत्रफल 383,58 वर्ग फीट (35.63 वर्ग मीटर) (सुपर बिल्टअप) है जो मनीष कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 श्री शिव चरण गुप्ता के नाम से है।"** को दिनांक 05.12.2020 को नो परफोर्मिंग एसेट्स घोषित कर दिया गया है जिसका कब्जा लेने का अधिकार बैंक को है।

प्रार्थी प्राधिकृत अधिकारी उपस्थित आया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी बैंक ने नियमानुसार समस्त कार्यवाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्थगन आदेश नही है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विश्वास कर उनके द्वारा दिये गये शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थी बैंक का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेकर प्रार्थी बैंक को सम्भलवाने के आदेश निम्न शर्तो पर दिये जाते है:–

1- रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर संभलवाते वक्त यदि नियमान्तर्गत कोई आक्षेप प्राप्त होता है, तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावें।

2- आदेश प्राधिकृत अधिकारी के शपथ पत्र एवं पेश दस्तावेजात के आधार पर दिये जा रहे है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रकिया/प्रावधानों की पालना नहीं की गई है, तो समस्त उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक का होगा।

निर्णय प्रति तहसीलदार अलवर जिला अलवर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है, कि प्रार्थी के पक्ष में रहन रखी गई सम्पत्ति को सिक्योरटाईजेशन एण्ड रीकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेशियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा–31 के प्रावधानो की पालना करते हुए कब्जे में लेकर प्रार्थी को सम्भलवाया जावें। आदेश की पालना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जे में लेते वक्त कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक अलवर को पर्याप्त पुलिस जाप्ता मुहैया कराने हेतु निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला मजिस्ट्रेट, अलवर